बालश्रम अधिनियम के साथ सुरक्षित बचपन, सुरक्षित भविष्य की दी जानकारी

■ छिंदवाड़ा जबलपुर एक्सप्रेस।

बाल श्रम अधिनियम का 1986 बनने के बाद भी बालको के बढ़ रहे बालश्रम की रोकथाम के विषयों की जानकारी देने के लिए जिला प्रधान न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुशांत हुद्वार के निर्देशन मे बालश्रम निषेध दिवस पर सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य पर जागरूकता कार्यक्रम छिंदवाड़ा के ग्राम जमुनिया रोपणी मे जागरूकता कार्यक्रम उधान अधिक्षक शास.उ.रोपणी जमुनिया के अधिक्षक एस आर, चौकसे की उपस्थिति मे किया गया। इस अवसर पर न्यायाधीश एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश सिंह ने ग्रामीण मजदूरों को बताया की दिनो दिन बालश्रमिकों की संख्या बढ़ते चले आ रही है।

जबकि बालश्रम अधिनियम बना हुआ है जिसका प्रचार प्रसार में अधिक जोर देने की आवश्यकता है बाल मजदूरी कराना अपराध की श्रेणी मे आता है जिसमे परिवार के साथ नियोक्ता के विरुद्ध भी कानूनी कार्यवाही एवं जुर्माना के साथ सजा का प्रावधान है इसलिए हम इन कार्यवाही से बचे ओर हम सभी का यह प्रयास होना चाहिए की प्रत्येक बालको के लिए बने कानून को अमल में लाकर शिक्षा से जोड़े और कहा कि बच्चों को इस अवस्था में उनके हाथों में कलम हो नाकी बालश्रम।

नाबालिग अपहरण कांड में फिर हुई चार गिरफ्तारी

■ जुन्नारदेव जबलपुर एक्सप्रेस।

नाबालिक अपहरण कांड में आज फिर चार गिरफ्तारी हुई। पुलिस थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार अपहरण करता काजू अरशद ने नाबालिक बालिका को अपने साथ भगाकर ले गया जिसे गाडरवारा में अपने रिश्तेदारों के घर में छूपा कर रखा था। जिसकी सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसे पकड़ने की कोशिश की गई।लेकिन वह फरार हो गया। जिस घर में वह रुका था उन सभी रिश्तेदारों के युवक एवं बुजुर्गों को पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सोहेल पिता नसिर खान(24)चुंगी नाका नया बस स्टैंड गाडरवाड़ा नरसिंहपुर, सायमीन उर्फ गप्पू पिता रहीमुद्दीन 35 वर्ष गाडरवाड़ा,नासिर खान पिता जफर खान51 गाडरवाड़ा ,शेख अंसार पिता नासिक 26 गाडरवाड़ा, पर अपहरण की धारा 137/2, 49,142,3(5)बी एन एस एवं 16/17 पास्को एक्ट के तहत गिरफ्तार कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। ज्ञात रहे की बालिक युवती को भगाकर ले जाने वाले आरोपी पर पुलिस अधीक्षक ने ?5000 रुपए का इनाम घोषित किया। वहीं इस घटना में शामिल अन्य सहयोगी आरोपियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई कर उन्हें जेल पहुंचाया गया है। इस प्रकरण के संबंध में ग्राम खाणा स्वामी निवासी प्रार्थीया ने रिपोर्ट दर्ज करवायी कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री 26 मई से घर से बिना बताए कही लापता हो गयी। पुलिस शिकायत में लेख करवाया गया कि क्षेत्र का अरशद उर्फ काजू प्रार्थीया कि नाबालिग बेटी को परेशान कर रहा था। अब संदेह हो रहा कि काजू ने नाबालिग बालिका को डरा धमकाकर बहला फुसला कर अपहरित कर ले गया है। जिस पर पुलिस ने अरशद उर्फ काजू पिता शमा फरीद निवासी वेलफेयर जुन्नारदेव के खिलाफ अपराध क्र. 202/26 धारा 137 (2) बीएनएस का मामला पंजीबद्ध कर अपराधी के कई ठिकानो पर दबिश दी गयी। लेकिन आरोपी को धरदबोचने मे पुलिस को सफलता हाथ नहीं लगी। और ना ही अपहरित बालिका कि दस्तायाबी हुई। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस अधीक्षक ने 5000 हजार का इनाम घोषित किया साथ ही सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर अपहरण घटना मे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले अरशद शेख पिता अनवर लाला वेलफे, अबू हमजा, शेख नुरेन, प्रतीक वासनिक, विश्वास उर्फ ऋषि ठाकुर के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया है।

इग्नू परीक्षा केंद्र का निरीक्षण, विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों की दी जानकारी

■ छिंदवाड़ा जबलपुर एक्सप्रेस।

डेनियलसन डिग्री कॉलेज स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र 1515 में जून सत्रांत परीक्षाओं के दौरान क्षेत्रीय केंद्र जबलपुर से सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हरीश केवट ने परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परीक्षार्थियों, परामर्शदाताओं एवं अध्ययन केंद्र के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न पाठ्यक्रमों, छात्र सेवा सुविधाओं तथा रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों की जानकारी दी।

अध्ययन केंद्र के सहायक समन्वयक प्रो. रविंद्र नाफड़े ने बताया कि बैठक में जुलाई 2026 प्रवेश सत्र के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी भी दी गई, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई निर्धारित है।

उन्होंने बताया कि केंद्र पर स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के एससी-एसटी विद्यार्थियों को निःशुल्क स्नातक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है। विद्यार्थियों से इन अवसरों का लाभ उठाने का आह्वान किया गया।

पुलिस को चकमा देकर चल रहा सट्टा पट्टी का अवैध कारोबार

■ जुन्नारदेव जबलपुर एक्सप्रेस।

पुलिस थाना जुन्नारदेव से लगी पुलिस चौकी डूंगरिया पांच नंबर में टेलर की आड़ में सट्टा पट्टी का कारोबार इन दिनों जोरों से चल रहा है ।सूत्रों की माने तो पुलिस को चकमा देकर रोजाना हजारों रुपए के दाव अंको पर लगाए जा रहे हैं। जिससे क्षेत्र में महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही है। बताया जा रहा है कि सट्टा लिखने वाला सटोरिया मोबाइल फोन के जरिए से ग्राहकों के नंबर लिख रहा है। सट्टा पट्टी लिखने वालों पर कार्यवाही न होने से लोग सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक से मांग की गई है कि जल्द से जल्द अवैध सट्टा पट्टी काटने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाए। क्षेत्र में सट्टा जुआ की धर पकड़ के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा जिले में अवैध सट्टा/जुआ गतिविधियों पर पूर्ण अंकुश लगाने हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया है। उक्त टीम द्वारा 03 थाना क्षेत्रों के 05 अलग-अलग स्थानों पर आकस्मिक रेड कार्यवाही की गई। पुलिस थाना जुन्नारदेव से तौसिफ़ खान पिता इस्माइल खान निवासी दातला जुन्नारदेव से 1100/- रुपये जप्त किया गया।मललिता यादव पति रमेश यादव निवासी लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के पीछे जुन्नारदेव से 9300/- रुपये जप्त किया गया। विनय राजपूत पिता विजय राजपूत तहसील रोड जुन्नारदेव से 6000/- रुपये जप्त किया गया। सभी आरोपियों के विरुद्ध संबंधित थानों में सट्टा एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत पृथक-पृथक अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्यवाही की गई।पुलिस अधीक्षक, छिंदवाड़ा द्वारा उक्त विशेष टीम को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस द्वारा अवैध सट्टा/जुआ के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा।आमजन से अपील है कि ऐसी अवैध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम को दें। सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा।

विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल का धरना प्रदर्शन आज

जुन्नारदेव जबलपुर एक्सप्रेस। विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल के तत्वाधान में आज नाबालिक बालिका अपहरण को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। लापता अवयस्क बालिकाओं के मामले मे प्रशासनिक ढिलाई को लेकर विश्व हिन्दू परिषद बजरंग दल का धरना प्रदर्शन आज शनिवार को-र्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक में 12बजे दोपहर से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। क्षेत्र मे बढ़ती लव जिहाद, अवयस्क बालिकाओं के अपहरण को लेकर विश्व हिन्दू परिषद सकल हिंदू समाज से आग्रह करता है कि इस संघर्ष मे अपना विरोध प्रदर्शन करें एवं अपनी उपस्थित होने अपील की।

75 लाख रुपये के विकास कार्यों को मिली मंजूरी

नगर परिषद चांदामेटा में पीआईसी की बैठक

■ परासिया जबलपुर एक्सप्रेस।

नगर परिषद चांदामेटा-बुटरिया के अध्यक्ष गोविंद बजोलिया की अध्यक्षता में आज प्रेसिडेंट-इन-कार्उंसिल की एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में नगर के विकास और जनसुविधाओं से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया गया, जिसमें रखे गए लगभग सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। बैठक में निर्णय लिए गए जिसमें मोक्षधाम का सौंदर्यीकरण (वार्ड क्रमांक 05 एवं 07)= इसके अंतर्गत सर्वसुविधायुक्त सीसी रोड, नाली निर्माण, पेवर ब्लॉक लगाना, शवदाह गृह का निर्माण तथा टीन शेड निर्माण कार्य कराया जाएगा। विद्युत व्यवस्था का विस्तार, नगर के सभी वार्डों में नागरिकों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्युत पोल विस्तार का कार्य किया जाएगा। बजट-उपरोक्त सभी विकास कार्य लगभग 75 लाख रुपये की अनुमानित लागत से स्वीकृत किए गए हैं। नगर का चहुंमुखी विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। आज पारित हुए प्रस्तावों से वार्डों की बुनियादी व्यवस्थाएं मजबूत होंगी और नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी। गोविंद बजोलिया, अध्यक्ष (नगर परिषद चांदामेटा) इस महत्वपूर्ण बैठक में परिषद के सभापति ब्रजकुमारी सरेयाम, पवन बावरिया, संतोष गजभिये, नीतू शर्मा सहित मुख्य नगरपालिका अधिकारी भरत गजबे एवं उपयंत्री विनय कुमार शुक्ला विशेष रूप से उपस्थित रहे।

अस्पताल में शिशु चिकित्सक की नहीं हुई पदस्थापना

■ परासिया जबलपुर एक्सप्रेस।

सिविल अस्पताल परासिया में पिछले कई महीनों से शिशु रोग विशेषज्ञ के नहीं होने पर बच्चों के इलाज में परेशानी को देखते हुए विधायक सोहन बाल्मिक ने गत 7 मई को अस्पताल के सामने एक दिवसीय अनशन किया था। विधायक की मांग थी कि अस्पताल में स्थायी रुप से शिशु चिकित्सक की पदस्थापना की जाए। अनशन के दौरान जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने विधायक को लिखित रूप में पत्र दिया था। जिसमें विधायक की मांग पर स्वास्थ्य आयुक्त ने एक माह के भीतर शिशु रोग विशेषज्ञ की पदस्थापना करने के बारे में कहा था लेकिन एक माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद शासन ने शिशु चिकित्सक की पदस्थापना नहीं की है। परेशानी को देखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने गत 2 मई को आदेश जारी कर जिला अस्पताल के दो शिशु चिकित्सक की सप्ताह में तीन दिन मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक सेवाएं देने के बारे में कहा था। लेकिन पता चला है कि शूरू में दो सप्ताह तक चिकित्सक नहीं आये। उसके बाद चिकित्सकों ने आना शुरू किया लेकिन नियमित रूप से समय पर नहीं आ रहे हैं। बच्चों के इलाज की परेशानी को देखते हुए फिर वेकोलि पेंच क्षेत्र के महाप्रबंधक विकास अग्रवाल ने गत 10 जून को एक आदेश जारी किया है। जिसमें उन्होंने केन्द्रीय चिकित्सालय बड़कुही में आगामी सप्ताह से गैर कर्मचारियों के बच्चों को इलाज के लिए परामर्श देने के बारे में कहा है। सप्ताह में दो दिन सोमवार एवं बुधवार को बाल रोग विशेषज्ञ डॉ शुभम जायसवाल सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक बच्चों को देखेंगे। लेकिन लोगों का कहना है कि फिर भी सबसे बड़ी परेशानी नवजात शिशु को लेकर है। इसलिए कि सिविल अस्पताल परासिया एवं चांदामेटा में आए दिन महिलाओं के प्रसव होते हैं, लेकिन नवजातों को देखने वाला कोई शिशु चिकित्सक नहीं है। नवजात शिशुओं की हालत बिगड़ने पर जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा जाता है।

विकलांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाला ऑटो चालक गिरफ्तार

■ परासिया जबलपुर एक्सप्रेस।

चांदामेटा पुलिस थाने के अन्तर्गत एक 16 वर्षीय मंद बुद्धि एवं विकलांग नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में भमोड़ी में रहने वाले 36 वर्षीय आरोपी युवक आटो चालक जितु उर्फ जितेन्द्र झरबड़े को गिरफ्तार किया है। आरोपी को शुक्रवार को न्यायलय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेजा गया। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137, 64 के अलावा पास्को एक्ट की धारा तथा विकलांग जन्म अधिकार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी खेलचंद पटेल ने बताया कि घटना गत 9 जून की रात की है।

पुलिस ट्रेनिंग के बाद अश्वनी पहुंची गांव

परिवार के साथ ग्रामीणों ने किया स्वागत

■ घोडाघाड़ी जबलपुर एक्सप्रेस।

छिंदवाड़ा जिले की विकास खण्ड जुन्नारदेव के ग्राम छिंदीकामथ निवासी अनखलाल यदुवंशी की पुत्री कुमारी अश्वनी यदुवंशी जिनका चयन 2023 के बेच में द्वश्व पुलिस में हुआ है। जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग इंदौर से सम्पूर्ण कर उनकी पहली पदस्थापना पड़ोसी जिला बैतूल हुई है जिनका अपने गृह निवास पर आगमन हुआ जिस में परिवार सहित क्षेत्र वासियों ने फूल माला, गुलदस्ता ढोल नगाड़े के साथ, जोरदार स्वागत किया। अश्वनी ने बताया की लड़की के लिए पुलिस विभाग सब से सुरक्षित हैं। और भी लड़कियों को इस विभाग की तैयारी कर अधिक से अधिक संख्या में ज्वाइंनिंग लेना चाहिए जिस बीच उपस्थित जगदीश यदुवंशी (शिक्षक), सिपतराम यदुवंशी, शिवराम यदुवंशी, छोटेलाल यदुवंशी, दर्शन पटेल, सुखदेव नंदवंशी, मंगलू यदुवंशी जनपत सदस्य, लेखराम यदुवंशी सचिव, हरिराम यदुवंशी, मुलेश्वर यदुवंशी, राजेश मासाब, हंसलाल यदुवंशी, डब्लू देवीलाल यदुवंशी, रविन्द्र यदुवंशी (प्राचार्य), मनोज यदुवंशी (आर्मी), हुकुमचंद यदुवंशी, दीपक यदुवंशी, कपिल यदुवंशी, किशोर यदुवंशी सचिव, रामभाउ कुड़ापे सरपंच, सुधाकर वरवड़े, घनश्याम सर, बंटी चौहान, छबीराम यदुवंशी, जितेंद्र यदुवंशी सहित अधिक संख्या में मातृ शक्ति और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

कुएं में डूबने से युवक-युवती की मौत

हर्रई जबलपुर एक्सप्रेस। हर्रई थाना क्षेत्र के सुरलाखापा के समीप कुएं में युवक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। खबर आग की तरह फैलते ही मौके पर लोगों को जमावड़ा लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर लिया है। इस मामले को प्रेम प्रसंग से जोड़कर देखा जा रहा है। वही युवती के कुएं में गिरने के बाद बचाने के प्रयास में दोनों की मौत हो गई होगी। इस तरह दोनों की मौत के पीछे ये दो कारण होने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि, गुरूवार शाम सूचना मिली कि कुएं में युवक-युवती के शव उतरा रहे है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने लोगों की मदद से दोनों के शवों को बाहर निकलवाया। जिसमें युवक-युवती की शिनाख्त हो गई।

युवती नाबालिग बताई गई है। वही युवक की पहचान विकास पिता शैलेष उइके (21) के रूप में की गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि नाबालिग बकरी चराने के लिए घर से निकली थी। जो घटना स्थल के आसपास बकरी चरा रही होगी। वह कुएं में कूदा होगा। हादसे में दोनों की मौत हो गई होगी। हालांकि पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

रोटरी क्लब ने की ई ज्ञान लाइब्रेरी में प्रतियोगी परीक्षाओं की पुस्तके भेंट

छिंदवाड़ा जबलपुर एक्सप्रेस। शिक्षा दान सभी दानों में सर्वोपरि माना गया है। कहा जाता जो पुस्तके व्यक्ति का सबसे अच्छी मित्र होती है।एक बार यदि युवाओ ने पुस्तकों से मित्रता कर ली तो फिर जीवन में जो मुकाम हाशिल करना है इससे आपको कोई रोक नहीं पाएगा। शासन द्वारा जीरो बजट में संचालित ज्ञान ई लाइवेरी में जिले के दूर दराज से युवक एवं युवतियां अपने सपनों को सच करने अर्थात प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर में मध्य स्थित ई ज्ञान लायवेरी में सुबह 8 बजे से रात्रि के 8 बजे तक यहां बैठ कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। युवाओं के सपनों को सच करने पंख बनकर उड़ान भरने मददगार साबित हो रहा रोटरी क्लब द्वारा शासन का जीरो बजट का ये पुस्तकालय में जब रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा का ध्यान गया तो रोटरी क्लब ने एक जुलाई 2025 से पूरे वर्ष के लिए इस पुस्तकालय में बच्चों के डिमांड अनुसार उन्हें प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी में लगने वाली पुस्तके प्रति माह डोनेट कर मन बना लिया।रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा के अध्यक्ष रोटे विनोद तिवारी ने इस कार्य को अपने सभी रोटेरियन साथियों के सहयोग पूरे वर्ष भर बखूबी पुस्तके भेज कर इन युवाओं के सपने सच करने में मददगार बने। इस पुस्तकालय के प्रभारी संदीप साहू बताया कि रोटरी क्लब इस परिसर में बच्चों के किसी अन्य प्रोजेक्ट को लेकर इस परिसर में संचालित अनुसूचित जाति पोस्ट मैट्रिक हॉस्टल में आए थे।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया Central Bank of India

अचल संपत्तियों का विक्रय नोटिस ई-नीलामी दिनांक- 29/06/2026

क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा - पुराने पंजाब भवन के पास, चिटनविसगंज नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा (म.प्र)

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

आम लोगों को तथा विशेष रूप से उधार लेने वाले और प्रत्याभूति-दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूत लेनदार के पास गिरवी/हमादार है, का प्रत्यक्षित कब्जा (नीचे वर्णित) प्रतिभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, वहाँ **"जहाँ है जैसा है और जो कुछ भी है, बिना प्रकार है, एवं दायित्व रहित"** के आधार पर निम्नलिखित देनदारों, प्रत्याभूति-दाता तथा जमानतदारों से प्रतिभूत लेनदार की बकाया राशि की वसूली हेतु ई-नीलामी द्वारा बेचे जाने हेतु विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :

क्र.	ऋण खाता/ऋणी/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार एवं संबंधित शाखा	मांग सूचना दिनांक आधिपत्य दिनांक बकाया राशि (मांग सूचना के अनुसार)	सामान्यबंधक अचल संपत्तियों का विवरण/ कब्जे का प्रकार	आरक्षित मूल्य / अंकित धरोहर जमा राशि / बिड वृद्धि राशि
1	मेसर्स पदमावति इंडस्ट्री प्रोप. श्री लक्ष्य सूर्यवंशी पिता ओमप्रकाश सूर्यवंशी कंपनी पता :- प्लॉट न. J-20 एवं J-21, सैक्टर – J, जमालपानी IGC बोरगांव, तहसील सौसर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश पिन- 480106 आवासीय पता :- वॉर्ड न. 14, ग्राम रामाकोना, पोस्ट रामाकोना, तहसील सौसर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश पिन- 480106 संबन्धित शाखा: सौसर अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – शा. प्र. 8226003724 नोट – उक्त सम्पत्तियो से सम्बंधित म.प्र. औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (MPIDC) के समस्त बकाया देय (जैसे भू-भाटक, जल प्रभार, संधारण प्रभार एवं अन्य प्रभार, यदि कोई हो) सफल बोलीकर्ता द्वारा सम्बंधित प्राधिकरण के प्रचलित नियमो / अनुसंधियो के अनुसार वहन एवं भुगतान किए जाएंगे।	30/05/2025 12/08/2025 रु. 1,81,20,800.91 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	सामान्य बंधन भूमि एवं भवन: संपत्ति क्र:- 1. प्लॉट न. J-20 क्षेत्रफल 800.00 वर्गमीटर, सैक्टर – J, जमालपानी IGC बोरगांव, प.ह .नं. 45, ब.नं. 154, तहसील सौसर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश पिन- 480106 चतुःसीमा (प्लॉट न. J-20, सैक्टर – J) - उत्तर – प्लॉट न. J-21, दक्षिण- प्लॉट न. J-19, पूर्व - रोड, पश्चिम – प्लॉट न. J-28 संपत्ति क्रमांक :- 2: प्लॉट न. J-21 क्षेत्रफल 800.00 वर्गमीटर , सैक्टर – J, जमालपानी IGC बोरगांव, प .ह .नं. 45, ब.नं. 154, तहसील सौसर, जिला पांढुर्णा, मध्यप्रदेश पिन- 480106 चतुःसीमा (प्लॉट न. J-21, सैक्टर – J) - उत्तर – प्लॉट न. J-22, दक्षिण- प्लॉट न. J-20, पूर्व- रोड, पश्चिम – प्लॉट न. J-28 संपत्ति क्रमांक :- 3: Hypothecation of Plant & Machineries i.e. 1. Jaw Crusher, 2. 5 Roller Mill, 3. MS Loading Structure, 4. Motors, 5. Electrification, Control Panel, Cables etc. पट्टेदार / बंधककर्ता: मेसर्स पदमावति इंडस्ट्री प्रोप. श्री लक्ष्य सूर्यवंशी पिता ओमप्रकाश सूर्यवंशी सांकेतिक कब्जा	रु. 83,12,800.00 रु. 8,31,280.00 रु. 50,000/-
2.	1. मेसर्स एरौज फुड और फिड ग्रुप , प्रोप. श्रीमती. सुरजन चौहान पती श्री. चरनलाल चौहान पता – ग्राम – लेंडेझरी, पो. चिलोंद तह. लालबर्रा, जिला – बालाघाट (म.प्र.) 2. श्री. राजकुमार चौहान पिता श्री. चरनलाल चौहान पता – ग्राम – लेंडेझरी, पो. चिलोंद तह. लालबर्रा, जिला – बालाघाट (म.प्र.) 3. मेसर्स एरौज बायो और इनप्रा इनेचर्स, प्रोप. श्री. राजकुमार चौहान पिता श्री. चरनलाल चौहान पता – ग्राम – लेंडेझरी, पो. चिलोंद तह. लालबर्रा, जिला – बालाघाट (म.प्र.) 4. श्रीमती. पुष्पा चौहान पती श्री. केलाश चौहान पता - वार्ड नं. 12, बुधी पुलिस लाइन के बाजु में, बालाघाट तह. जिला बालाघाट (म.प्र.) संबन्धित शाखा: कनकी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – शा. प्र. 8226003738	30/05/2017 18/08/2017 रु. 27,90,042.00 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	सामान्य बंधन भूमि एवं भवन: संपत्ति – ग्राम – लेंडेझरी, पो. चिलोंद, ससरा नंबर 114/6/2, प.ह.नं. 15/79, तहसील- लालबर्रा, जिला-बालाघाट मे म. प्र. स्थित है। कुल परिया : 0.077 हेक्टर भू- स्वामी / बंधककर्ता: 1.श्री. राजकुमार चौहान पिता श्री. चरनलाल चौहान चतुःसीमा : उत्तर – रोड, दक्षिण- चरनलाल की भूमी, पूर्व- बाबुलाल भगत की भूमी, पश्चिम – सुखलाल की भूमि सांकेतिक कब्जा	रु. 27,39,000/- रु. 2,73,900/- रु. 20,000/-
3.	मेसर्स पाखी साड़ी प्रोप. श्री. धनेन्द्र पारधी पिता श्री. खुमानसिंह पारधी पता- सिवनी रोड , रघुपती राईस मिल के पास, तह. कटंगी , जिला – बालाघाट (म.प्र.) संबन्धित शाखा: कटंगी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – शा. प्र. 8226003739	07/06/2023 18/08/2023 रु. 1,07,52,176.00 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	सामान्य बंधन भूमि एवं भवन: संपत्ति – स्थित ग्राम- समरीया ससरा नंबर 459/16 प.ह.नं. 8, तहसील - कटंगी, जिला-बालाघाट मे म.प्र. स्थित है। कुल परिया : 0.021 हेक्टर भू- स्वामी / बंधककर्ता: 1. श्री. धनेन्द्र पारधी पिता श्री. खुमानसिंह पारधी चतुःसीमा : उत्तर – महेन्द्र तेजकुमार व टामलाल सहारे की भूमि , दक्षिण- कच्चा रस्ता, पूर्व- तालबाई बेवा बालकराम की भूमि, पश्चिम – दिपक वलद हिहारीलाल की भूमि मसिनरी – 4 सेट 11-400-800-1200 Computerized EMB M/C सांकेतिक कब्जा	रु. 30,39,600/- रु. 3,03,960/- रु. 20,000/-
4.	श्री. संतोष कोरडे पिता स्व. श्री. गणपती कोरडे स्व. श्री. गणपती कोरडे पिता श्री. मनीराम कोरडे कानूनी उत्तराधिकारि के माध्यम से, श्री. संतोष कोरडे पिता स्व. श्री. गणपती कोरडे श्रीमति. कुंदन कोरडे पति स्व. श्री. गणपती कोरडे श्रीमति. दमयंती चौधरी पति श्री. मदनलाल चौधरी श्रीमति. धीरन साहारे पति श्री. सालिकराम साहारे पता- वार्ड नं. 13, बुधी मंदिर के पीछे, बालाघाट , बुधी, तहसील + जिला – बालाघाट संबन्धित शाखा: सेरी अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – शा. प्र. 8226003740	24/10/2017 30/12/2017 रु. 7,85,750.00 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	ससरा नं. 44/4, प.ह.नं.13/1, घर नं. 11, बुधी, बालाघाट तहसील – बालाघाट , जिला – बालाघाट , म.प्र. (Area - 861 Sq.Ft.) भू- स्वामी / बंधककर्ता: स्व. श्री. गणपती कोरडे पिता श्री. मनीराम कोरडे चतुःसीमा : उत्तर – सुखलाल नागोसे का मकान, दक्षिण- जे.एल. अंगारे का मकान , पूर्व- रोड , पश्चिम – हरीलाल नागोसे का मकान सांकेतिक कब्जा	रु. 16,62,000/- रु. 1,66,200/- रु. 20,000/-
5.	M/s दिव्या पाइप टेडर्स प्रोप:- श्रीमति सुखवंती नगपुरे पति श्री दीपक नगपुरे पता - क्र. 76, वार्ड क्र. 7, ग्राम – कोहकाडिघर, पोस्ट – टेकोरी, जिला - बालाघाट , प0 प्र0 481001 पता :- ग्राम सारद , पोस्ट सारद , तहसील – किरनापुर , जिला – बालाघाट, प0 प्र0 481226 संबन्धित शाखा: बालाघाट अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें – शा. प्र. 8226003734	10/06/2025 19/08/2025 रु. 1,15,79,416.55 + भविष्य ब्याज + विधिक व्यय	सामान्य बंधन भूमि: संपत्ति क्र. 1 : मौज़ा – सारद प. ह. न. 03 /15 रा. नि. म. रक्षेगाँव तहसील किरनापुर जिला बालाघाट स्थित ससरा न. 241/3 कुल रकबा 0.263 हेक्टर पूर्ण ड्राइवरटेड जिसमे निर्मित समस्त पक्का आर. सी. सी. एवम् अन्य निर्माण जिसकी चतुःसीमा निम्न प्रकार है:- उत्तर – पाडन, दक्षिण – भाउलाल रहंगडाले कि जमीन, पूर्व – सरकारी जमीन, पश्चिम – सेवक राम कि जमीन संपत्ति क्र. 2 : मौज़ा – सारद प. ह. न. 03 /15 रा. नि. म. रक्षेगाँव, तहसील किरनापुर , जिला बालाघाट स्थित ससरा न. 241/4 कुल रकबा 0.162 हेक्टर पूर्ण ड्राइवरटेड जिसमे निर्मित समस्त पक्का आर. सी. सी. एवम् अन्य निर्माण जिसकी चतुःसीमा निम्न प्रकार है:- उत्तर – पाडन, दक्षिण – भाउलाल रहंगडाले कि जमीन, पूर्व – बुदन बाई कि जमीन, पश्चिम – गोपिचंद मनेश्वर कि जमीन संपत्ति क्र. 3 : PVC pipe manufacturing Plant & Machineries भू- स्वामी / बंधककर्ता: श्रीमति सुखवंती नागपुरे पति श्री दीपक नागपुरे (संपत्ति बंधककर्ता) भौतिक कब्जा (Physical Possession)	रु. 99,98,000/- रु. 9,99,800/- रु. 50,000/-

विक्रय के निबंधन और शर्तों के ब्यौरे के लिए कृपया नीचे दिये गए प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट अर्थात www.centralbank.bank.in देखें या बैंक अनुबंधित सेवा प्रदाता PSB alliance के वेबपोर्टल http://baanknet.com पर उपलब्ध लिंक देखें। क्षेत्रीय कार्यालय छिंदवाड़ा प्राधिकृत अधिकारी (मो. 9109954645) से संपर्क कर सकते है। ये ऋणियों/ प्रत्याभूति-दाता/ जमानतदार को सरफेसी अधिनियम 2002 के नियम 8 (6) के अधीन एवं पंद्रह (15) दिनों की वैधानिक विक्रय सूचना है।

दिनांक: 13/06/2026

कृते सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, प्राधिकृत अधिकारी